डीजी-परिपत्र संख्या-12 /2024

प्रशान्त कुमार,
आई0पी0एस0

पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश
गोमतीनगर विस्तार, लखनऊ-226002
दिनांकः लखनऊः मार्च14,2024

विषयः आगामी लोक सभा चुनाव 2024 को भयमुक्त स्वतन्त्र एवं निष्पक्ष सम्पन्न कराये जाने हेतु चुनाव से सम्बन्धित अभियोगों के पंजीकरण एवं की जाने वाली विवेचनात्मक प्रक्रिया के सम्बन्ध में आवश्यक दिशा- निर्देश।

प्रिय महोदया/महोदय,

लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 को स्वतन्त्र,निष्पक्ष एवं शांति पूर्ण ढंग से सम्पन्न कराये जाने के दृष्टिगत भारत निर्वाचन आयोग ने मंशा जाहिर की है कि चुनाव के दौरान घटित होने वाले चुनाव सम्बन्धी अपराधों में तत्काल अभियोग पंजीकृत किया जाय। चुनाव सम्पन्न होने के एक माह के अन्दर चुनाव से सम्बन्धित अभियोगों की गुणवत्तापरक विवेचनात्मक कार्यवाही पूर्ण कराते हुए अभियोजन की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जाय तथा उक्त कार्यवाही का पर्यवेक्षण जिला निर्वाचन अधिकारी एवं पुलिस आयुक्त/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक के निकट पर्यवेक्षण में किये जाने के भी निर्देश दिये गये हैं। जिसके निमित्त निम्न निर्देश निर्गत किये जाते हैं –

1.अभियोग पंजीकरणः-

- निर्वाचन सम्बन्धी अपराधों का पंजीकरण भारत निर्वाचन आयोग के पत्र संख्या 464 / INST / EPS / 2023 / L&O Dated-08/06/2023 के annexure-1 के अनुसार सुसंगत धाराओं में किया जाय।
- अधिसूचना जारी होने के पश्चात् निर्वाचन सम्बन्धी अपराधों का पंजीकरण करने में कोई विलम्ब न किया जाय।

2. विवेचनाः-

- घटनास्थल का निरीक्षण विवेचक एवं उच्चाधिकारीगणों द्वारा तत्काल किया जाय। यथासम्भव घटनास्थल निरीक्षण के समय वीडियोग्रॉफी करायी जाय व घटनास्थल की नक्शा नजरी सही तरीके से स्केलिंग करते हुए तैयार की जाय।
- विवेचक को निर्वाचन से सम्बन्धित घटनास्थल से कब्जे में लेने वाले भौतिक प्रदर्शों का नियमानुसार फर्द/मेमो तैयार कर लेना चाहिये और उसको सही तरीके से संरक्षित कर उसकी पैकिंग,सीलिंग व लेबलिंग कर देनी चाहिये। इस सम्बन्ध में इलेक्ट्रानिक साक्ष्यों को सीज व संकलित करने हेतु डीजी परिपत्र संख्या-17/2016 दिनांकित 16.03.2016 (छाया प्रति संलग्न) के अनुरूप कार्यवाही सुनिश्चित करायी जाय।
- उक्त के अतिरिक्त इलेक्ट्रानिक साक्ष्य यथा सीसीटीवी फुटेज,वीडियो रिकार्डिंग इत्यादि को भी सही तरीके से प्राप्त कर धारा 65 बी साक्ष्य अधिनियम के अन्तर्गत प्रमाण पत्र प्राप्त कर उसकी प्रमाणिकता हेतु समय से विधि विज्ञान प्रयोगशाला प्रेषित कर परीक्षण करा लिया जाय।
- विधि विज्ञान प्रयोगशाला से समन्वय बनाते हुए परीक्षण रिपोर्ट शीघ्र प्राप्त कर ली जाय। विधि विज्ञान प्रयोगशाला से परीक्षण परिणाम प्राप्त होने के पश्चात् उसे सम्यक रूप से विवेचना में शामिल करें, ताकि न्यायालय में विचारण के दौरान उसे सुसंगत साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया जा सके।

- अभियोगों के वादी का बयान अन्तर्गत धारा 161 सी0आर0पी0सी0 यथाशीघ्र कर लिया जाय क्योंकि वादी अन्य जनपद अथवा अन्य प्रांत का रहने वाला हो सकता है। जिससे बाद में विवेचना के निस्तारण में अनावश्यक विलम्ब का सामना करना पड़ सकता है।
- अन्य मौखिक/परिस्थितिजन्य साक्ष्यों का भी संकलन यथाशीघ्र कर लिया जाय।
- यदि कोई शरीर सम्बन्धी अपराध हुआ है तो उस सम्बन्ध में पीड़ित का तत्काल मेडिकल कराकर मेडिकल रिपोर्ट प्राप्त करते हुए विवेचना में समाहित किया जाय।
- समस्त साक्ष्यों का विश्लेषण करने के उपरान्त धारा 173(6) सी0आर0पी0सी0 के अन्तर्गत पुलिस रिपोर्ट मा0 न्यायालय को प्रेषित की जाय।
- जिन अभियोगो में अभियोजन स्वीकृति लिया जाना आवश्यक हो,उनमें यथाशीघ्र पैरवी कराते हुए अभियोजन स्वीकृति प्राप्त कर ली जाय।
- पर्यवेक्षण अधिकारी का यह दायित्व होगा कि अभियोग की विवेचना के सम्बन्ध में समस्त कार्यवाहियां विधि सम्मत रूप से पूर्ण कर ली गयी हैं अथवा नहीं। यदि पर्यवेक्षण अधिकारी,विवेचक द्वारा की गयी सभी कार्यवाहियों से संतुष्ट हो तभी पुलिस रिपोर्ट मा0 न्यायालय प्रेषित की जाय।

3. अभियोजनः-

- निर्वाचन सम्बन्धी अपराधों पर सम्बन्धित न्यायालय द्वारा संज्ञान लेने के पश्चात् अभियोजन की कार्यवाही पूर्ण कर ली जाय। इसके लिये सम्बन्धित पुलिस आयुक्त/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक मानिटरिंग सेल की बैठक में जनपद न्यायाधीश से समन्वय स्थापित करें व अभियोजन की कार्यवाही प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण करायें।
- अभियोगों की प्रभावी पैरवी हेतु राजपत्रित स्तर के अधिकारी को नियुक्त किया जाय तथा समयबद्ध पैरवी के दृष्टिगत उन्हें भलीभांति निर्देशित किया जाय।

मैं चाहूँगा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिये गये उपरोक्तांकित दिशा-निर्देश का भली-भाँति अध्ययन कर लें तथा निर्गत उपरोक्त दिशा-निर्देशों को तत्परता पूर्वक निष्पक्ष स्वतन्त्र एवं गुणात्मक वैज्ञानिक ढंग से विवेचनात्मक कार्यवाही पूर्ण कराये जाने हेतु अपने अधीनस्थ राजपत्रित अधिकारियों/थाना प्रभारियों/विवेचना अधिकारियों को एक कार्यशाला के माध्यम से अवगत कराकर उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन कराना सुनिश्चित करेंगें।

संलग्नकःयथोपरि।

भवदीय

14.3.24.

(प्रशान्त कुमार)

1. **समस्त पुलिस आयुक्त,**
   उत्तर प्रदेश।
2. **समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक,**
   प्रभारी जनपद,उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं उपरोक्तानुसार अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु प्रेषित।

1- समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक,उत्तर प्रदेश।
2- अपर पुलिस महानिदेशक,अपराध/रेलवे/अभियोजन, उत्तर प्रदेश।
3- समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक,उत्तर प्रदेश।
4- समस्त पुलिस अधीक्षक रेलवे ,उत्तर प्रदेश।